भारत में बाल श्रमिकों के पुनर्वास की योजनाओं का स्वरूप

*नीतू गुप्ता

सारांश–

स्वतंत्र भारत के संविधान में जिस लोक–कल्याणकारी व समाजवादी व्यवस्था की कल्पना की गई थी, उस लक्ष्य की प्राप्ति में एक वृहद चुनौती के रूप में बालश्रम की समस्या व्यवस्था में गहराई तक विद्यमान है। जीवन का प्रथम पड़ाव सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के अभाव में बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए भाोशण को झेलने के लिए मजबूर हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा इनकी सुरक्षा व पुनर्वास के लिए अनेक कानूनी व संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं जिनमें राश्ट्रीय बाल सुरक्षा परियोजना (NCLP) व सर्व भिक्षा अभियान (SSA) प्रमुख हैं, किन्तु बाल श्रमिक मुक्त भारत के स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति असंभव प्रतीत हो रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में बालश्रम के कारणों पर प्रकाभा डालते हुए विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के स्वरूप व सुधार के सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य शब्द–लोक–कल्याणकारी, समाजवादी व्यवस्था, कानूनी व संवैधानिक प्रावधान, पुनर्वास योजनाएँ।

प्रस्तावना–विभव परिदृश्य में बालश्रम की परम्परा प्राचीन समय से प्रचलित है। किन्तु 20वीं शताब्दी के कुछ दभाक तक भी सबसे उपेक्षित समस्या के रूप में विद्यमान रही है। 1950 के पभचात् सामाजिक सुधारकों व न्यायविदों ने इस समस्या की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया क्योंकि बालश्रम से पीड़ित पक्ष बच्चे होने के कारण अपने शोषण का विरोध कर पाने में सक्षम नहीं थे। वर्शों तक यह विषय ही विवाद का कारण रहा कि बालश्रम की श्रेणी में बच्चों के द्वारा किये जाने वाले कौनसे कार्य को व किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाये। विकासशील देभाों में बालश्रमिकों की स्थिति अधिक विकट होती जा रही है क्योंकि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होने के कारण सस्ते श्रम के विकल्प के रूप में बाल श्रमिकों को लगाया जाता है व निरक्षरता व निर्धनता के कारण इनकी उपलब्धता भी आसान है।

भारत एक विकासभील देभा है जिसमें औद्योगिकीकरण के साथ–साथ आर्थिक असमानता का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सभी सुविधाओं व कानूनों के बावजूद बाल मजदूरी की समस्या एक बुराई के रूप में समाज में दिखाई देती है, जिसके बहुआयामी कारण है।[1] यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष विभााल प्रभनचिन्ह है कि जिस उम्र में बच्चे भिाक्षा प्राप्त करके भाारीरिक व मानसिक विकास करते हैं, उस उम्र में खतरनाक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहकर मजबूरीवश अपने विकास को बाधित कर रहे हैं। यह अत्यन्त ही गंभीर पहलू है कि हमारे देभा में प्रत्येक नवां बच्चा कहीं न कहीं कार्य कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 85 फीसदी बच्चे पारम्परिक कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि लगभग 9 फीसदी बच्चे मरम्मत, सेवा और उत्पादन के कार्यों में लगे हुए हैं।[2] यूनिसेफ के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1. 01 करोड़ है, जिनमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियाँ हैं। सम्पूर्ण विभव में 15.20 करोड़ बच्चे हैं जिसमें 8.5 करोड लडके बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है अर्थात् प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बाल मजदूर है।[3]

बालश्रम से अभिप्रायः– बालश्रम के स्वरूप व क्षेत्र को परिभाषित करना जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं पर बगैर

मजदूरी के बालकों से कार्य करवाया जा रहा है व कहीं पर बालकों से उनकी क्षमताओं के विपरीत परिस्थितियों में कार्य करवाया जा रहा है।[4] जनसांख्यिकीय विभाग भारत सरकार के अनुसार बालश्रम से आभाय है किसी भी प्रकार का मानसिक व शारीरिक कार्य जो कि बालक के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी को अभिव्यक्त करता है, बालश्रम की श्रेणी में माना जा सकता है।[5]

जे.सी. कुलश्रेष्ठ के अनुसार, बालश्रम से आभाय है बालक के द्वारा लाभ प्राप्त कार्य में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का श्रम है जो कि उनके स्वास्थ्य व विकास को बाधित करता है।''[6]

भारतीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी व बेरोजगारी को बालश्रम की प्रथा औद्योगिक क्रान्ति से ही प्रारम्भ मानी जा सकती है, क्योंकि इससे पूर्व पारिवारिक कार्यों बच्चों को परिवारजन के द्वारा लगाया जाता था, जो कि कार्य करने की खतरनाक परिस्थितियाँ नहीं हुआ करती थी। बालकों को लिए कार्य का यह स्वरूप उनके प्रशिक्षण का ही एक अंभा माना जाता था किन्तु औद्योगिकीकरण के पश्चात् सस्ते श्रम की माँग इतनी तेजी से बढ़ी की बच्चों का शोषण नियोक्ताओं के द्वारा किया जाने लगा। प्रारम्भ में उचित कानूनी नियमों व कार्यवाही के अभाव से कारखाना मालिकों के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान भी नहीं था।[7]

बालश्रम का स्वरूप—भारत में बालश्रमिकों के रूप में कार्यरत बच्चे अधिकांशतः उन परिवारों से आते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को सहन करते जा रहे हैं। यह व्यवस्था की विडम्बना ही है कि जबकि पंजीकृत व्यस्क बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ 30 लाख तक पहुँच चुकी है, तब भी 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को श्रमिक बनना पड़ रहा है और उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ तक है जो कि इनकी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का 4 प्रतिशत है। बाल श्रमिक मुख्यतः 5 क्षेत्रों में अधिक कार्यरत हैं, जिनमें कारखानों में, ईंट भट्टों में, गारमेन्ट उद्योग, असंगठित क्षेत्र में जैसे गृह आधारित रोजगार, ढाबों और होटलों में या टेम्पो व बसों के हेल्पर के रूप में, कृषि क्षेत्र में और आतिशबाजियां बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े शहरों में घरेलू कामगारों के रूप में या कचरा बीनने में भी बच्चे लगे रहते हैं। इन बच्चों का विकास कार्यस्थल की विपरीत स्थितियों के कारण प्रभावित होता है।

गुरुपदस्वामी समिति जिसने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने बालश्रम की समस्याओं की विस्तार से जाँच की थी। इसने बालकार्य व बालश्रम के मध्य अन्तर को स्पष्ट कर समिति ने इस तथ्य पर बल दिया कि बालश्रम से व्यवहार करने वाले भविष्य के सभी कार्यों में बाल कार्य व बालश्रम के मध्य मूलभूत अंतर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होगी। इसमें माना गया कि, किसी बच्चे के मामले में श्रम एक परम बुराई हो जाती है जब उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं से परे कार्य करने की आवभयकता होती है। जब नियोजन के घंटे उसकी भिक्षा, मनोरंजन और आराम के साथ हस्तक्षेप करते हैं, जब उसकी मजदूरी किये गये कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं होती है तथा जब व्यवसाय जिसमें वह लगा है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है, अर्थात् जब उसका शोषण किया जाता है।''[8]

बालश्रमिकों के पुनर्वास की योजनायें—भारत में बालश्रम की समस्या चिंतनीय स्तर पर पहुँच चुकी है। सरकारों के समक्ष यह चुनौती बनी हुई है कि बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाने के पश्चात् उनके पुनर्वास योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये जिससे उनको आर्थिक व सामाजिक संरक्षण भी प्राप्त हो और भविष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी इन समस्याओं को हस्तानतिरत होने से रोका जा सके। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक, आर्थिक समस्या माना जा रहा है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। 1979 में गठित गुरुपदस्वामी ने इस समस्या पर गहन अध्ययन करके निष्कर्श निकाला कि जब तक गरीबी बनी हुई है तब

तक बालमजदूरी को हटाना संभव नहीं है। इसलिए कानूनन इस मुद्दे को प्रतिबंधित करना समाधान नहीं होगा।

इस स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाये तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाये। समिति ने यह भी सिफारिभा की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाये जाने की जरूरत है। गुरुपदस्वामी समिति की सिफारिभों के आधार पर बाल मजदूरी अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टीकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य की भार्तों का निर्धारण किया गया है।

बालश्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए भारत में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। बालश्रम के उन्मूलन के लिए सर्वप्रथम ब्रिटिश भाासन काल में वर्ष 1881 में खदानों एवं कारखानों में कार्य करने वाले बच्चों की सुरक्षा का कानूनी प्रावधान किया गया। इसमें 7 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को कारखानों में कार्य करने की मनाही थी। इसके पश्चात् बालश्रम से बालकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनेक प्रावधान किये गये जिनमें खदान अधिनियम 1901, फैक्ट्री अधिनियम 1911, भारतीय खदान अधिनियम 1923, फैक्ट्री संशोधित अधिनियम 1926, भारतीय बंदरगाह अधिनियम (संशोधित) 1931, चाय बागान मजदूर अधिनियम 1932, बाल बंधुआ श्रम अधिनियम 1933, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1934, बाल रोजगार अधिनियम 1938, फैक्ट्री अधिनियम 1948, बाल रोजगार (संभोधित) अधिनियम 1951, बाल रोजगार (संशोधित) अधिनियम 1978 एवं बाल श्रम (उन्मूलन तथा नियमन) अधिनियम 1986 प्रमुख हैं। इसके पश्चात् 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में भी बालश्रम उन्मूलन के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। इस संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त कई परियोजनायें भी लागू की जाती रही हैं, जिनका कि मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित है।

1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना–इस योजना के अन्तर्गत कामकाजी बच्चों को कार्य से हटाया जाता है और विभोश स्कूलों में दाखिला करवाया जाता है, ताकि उन्हें शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सके। इस योजना को 1988 में देश के 12 जिलों में आरम्भ किया गया था, दसवीं योजना के मध्य 21 राज्यों के 250 जिलों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।[9] इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयु समूह 9–14 में कार्यरत बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में वापिस निकालना तथा उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाना है। इस योजना में दो प्रमुख कार्य भाामिल हैं। पहला आयु समुह 5–9 वर्श में कार्यरत बच्चों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाये जाने की आवश्यकता है। दूसरा समूह 9–14 वर्षों में चिन्हित बच्चों की कार्य कारखाना पर्यावरण में से वापिस निकालने और परियोजना सोसाइटी द्वारा संचालित विभोष पाठभाालाओं के माध्यम से पुनर्वास कराये जाने और अन्त में औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाये जाने की आवश्यकता होगी।

2. चाइल्ड हेल्प लाइन–संकटग्रस्त बच्चों की सहायता हेतु हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है, जिसमें निःशुल्क सहायता नम्बर 1098 पर बच्चे मदद मांग सकते हैं। वर्तमान में यह योजना देश के 73 शहरों में कार्यरत हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालश्रमिकों का पुनर्वास व उनकी रिहाई है।

3. चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एण्ड प्रोटेक्शन–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य घर, ढाबों व मोटर गैराज जैसे स्थानों पर कार्यरत बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने से सम्बन्धित है जिसमें बालकों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण व चिकित्सीय सेवाओं को प्रदान करने का प्रयास किया

जा रहा है।

4. सेंट्रल एडाप्सन रिसोर्स एजेन्सी 1990–इस संस्था का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन किया गया है जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती है। यह संस्था बेसहारा बच्चों को गोद लिये जाने की प्रक्रिया के नियमन व सुचारू बनाने के लिए जिम्मेदार है।

5. बालश्रम पर राष्ट्रीय स्रोत केन्द्र 1993–इसके द्वारा बाल मजदूरी पर महत्वपूर्ण डाटाबेस तैयार किया जाता है, जिसमें श्रम मंत्रालय को बालश्रम कानूनों को लागू करने में मदद मिलती है। बाल मजदूरी पर अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

6. सर्व शिक्षा अभियान–भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस योजना का मुख्य उद्देभय बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है।

7. इडस बालश्रम परियोजना 2004–बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु भारत अमेरिका सहयोग के अन्तर्गत जारी संयुक्त वक्तव्य अगस्त 2000 की फालोअप कार्यवाही के रूप में चलाई जा रही है। इस परियोजना का प्रारम्भ फरवरी 2004 में किया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 80,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

8. राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2005–इस योजना में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरों पर बाल आयोग व बाल न्यायालयों के गठन का प्रावधान है।

बालश्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए भारत में कुछ गैर सरकारी संगठन भी कार्य कर रहे हैं जिनमें प्रमुख हैं–

बचपन बचाओ आन्दोलन

- कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेभान
- CRY–Child Rights and You
- प्रथम संगठन
- चाइल्ड फण्ड
- तलाश एसोसिएभान
- RIDE INDIA

देश में बालश्रम की समस्या के समाधान के लिए प्रभाासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना आवश्यक है। बाल श्रमिकों को व्यस्क श्रमिकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे व्यस्क बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और बच्चे बालश्रम से मुक्त होंगे। व्यस्क रोजगार के अवसर बढाये जाने से गरीबी बेरोजगारी व बालश्रम से मुक्ति मिलेगी। बच्चे जो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से का गठन करते हैं, अखण्डनीय रूप से हमारी सम्पदा और हमारा भविष्य हैं। इसलिए यह राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास के स्तर का एक सूचकांक है कि उनकी किस प्रकार देखभाल की जाती है और उनका किस प्रकार पालन पोषण किया जाता है। समृद्ध भारत के निर्माण के लिए बच्चों को बालश्रम की समस्या से निकालने जाने की अपरिहार्य आवश्यकता है।

***सह आचार्य**
राजनीति विज्ञान विभाग
स्व. प. न. कि. श, राजकीय महाविद्यालय,
दौसा (राज.)

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक जी के भारत में बालश्रम की दशा और दिशा, 2017 पृ, 199
2. कौशल लता, संस्करण 2009, चाइल्ड लेबर एण्ड ह्यूमन साइन्स, एम.डी. पब्लिकेशन्स, न्यू देहली, पेज नं. 01
3. https//www.unicef.org/india/hi/noda/32/
4. शर्मा सुभाष 2018, ह्यूमन राइट्स टेक्ट्स एवं कॉनेटेक्ट्स, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
5. Census of India Provisional Population Tests, workers and non workers, paper 3 of series-1, India 91981) Page. 02.
6. कुलश्रेष्ठ जे. सी., चाइल्ड लेबर इन इण्डिया, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (1978) पेज. 02
7. www.scotbuzz.org
8. कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति और कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पुस्तिका, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2006
9. www.google click.com